डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना, आर.ए.एस.

## उनवान

1. श्रीमती सुनीता देवी पत्नि कैलाश चंद गुप्ता उम्र 50 साल जाति अग्रवाल निवासी पुरानी ट्रक यूनियन करौली तहसील व जिला करौली
2. ब्रहमानन्द गुप्ता पुत्र बृजमोहन लाल गुप्ता उम्र 60 साल जाति अग्रवाल निवासी पीतूपुरा तहसील करौली जिला करौली

–वादीगण

## बनाम

1. मोती पुत्र नानगा उम्र 80 साल
2. रमेश पुत्र मोती उम्र 50 साल
3. हरीमोहन पुत्र रमेश उम्र 28 साल

जातियान माली निवासीयान नौलखा बाग के पीछे तीन दरवाजा करौली

–प्रतिवादीगण

## दावा धारा 188 व 92 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 23/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री विष्णु चंद** बंस[illegible] एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू ................................मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दि[illegible] जाता है व दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्था[illegible] निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 7619 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा [illegible] 7622, 7623 कुल किता 2 कुल रकबा 17 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई रूकावट व मदाखलत नहीं करें तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ........................................ मुबलिग ...................................... बाबत ........................................... खर्चा इस मुकदमे मय सूद निज बगरह ...................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ............... ............... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.08.2025 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:32:34
Reason: SelfAttested

| मुदई | रूपया | पैसे | मुददायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना अर्जी | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

उपखण्ड अधिकारी, करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

**पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)**

मु0न0:–23/21 तारीख रजु:–25.06.2021

उनवान

1. श्रीमती सुनीता देवी पत्नि कैलाश चंद गुप्ता उम्र 50 साल जाति अग्रवाल निवासी पुरानी ट्रक यूनियन करौली तहसील व जिला करौली
2. ब्रहमानन्द गुप्ता पुत्र बृजमोहन लाल गुप्ता उम्र 60 साल जाति अग्रवाल निवासी पीतूपुरा तहसील करौली जिला करौली

–वादीगण

**बनाम**

1. मोती पुत्र नानगा उम्र 80 साल
2. रमेश पुत्र मोती उम्र 50 साल
3. हरीमोहन पुत्र रमेश उम्र 28 साल

जातियान माली निवासीयान नौलखा बाग के पीछे तीन दरवाजा करौली

–प्रतिवादीगण

**दावा धारा 188 व 92 आर टी एक्ट**

**–::निर्णय::–** दिनांक:–18.08.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 7603 लगायत 7617 व 7619 लगायत 7623 कुल किता 19 कुल रकबा 10 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली में स्थित है। उक्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की है सबूतन नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। आराजी खरा नंबर 7619 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा खसरा नंबर 7622 रकबा 6 बिस्वा व खसरा नंबर 7623 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बिस्वा किस्म बारानी–1 से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। खसरा नंबर 7622 एवं 7623 के पूर्वी दिशा में करीब 10 फिट उंचाई की मिट्टी की डौल करीब 8 फिट चौडी बनी हुयी है एवं खसरा नंबर 7623 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:32:34
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

खसरा नंबर 7625 व 7633 करीब 12 फीट नीचाई में है। खसरा नंबर 7622 व 7623 वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रतिवादीगण ताकतवर झगडालू किस्म के आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति है और दिनांक 23.06.2021 से प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि खसरा नंबर 7622, 7623 की मेड डौल को जो करीब 8 फिट चौडी थी को फावडो से काटना प्रारम्भ कर दिया वादीगण ने प्रतिवादीगण से डौल को नहीं काटने एवं वादीगण की भूमि में जबरन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने की कहा तो प्रतिवादीगण ने वादीगण से ऐलानिया मैड डौल 8 फीट चौडी को काटकर वादीगण की भूमि में जबरन ताकत के बल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ रखने व निर्माण कार्य करने की ऐलानिया कहा व धमकी दी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से ऐसा नहीं करने की कहने पर प्रतिवादीगण वादीगण से झगडा करने पर आमादा फिसाद हो गये इसलिये वादीपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। प्रतिवादीगण सहजोर व ताकतवर है और ताकत के बल पर वादीगण की मैड डौल को तोड कर अनाधिकार निर्माण कार्य प्रारम्भ कर कर निर्माण कार्य करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीगण पर भारी आघात है। यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण की 8 फिट करीब चौडी व 12 फिट उंची मिट्टी की डौल को जबरन काट कर तोड कर निर्माण कार्य कर लिया तो वादीगण अपने खातेदारी की भूमि से वंचित हो जावेगा एवं आर्थिक क्षति होगी जिससे वादीगण को अपूर्णनीय क्षति व भारी असुविधा होगी इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को वादीगण की वादग्रस्त आराजीयात की डौल मेड को नहीं तोडने व वादीगण की आराजीयात में निर्माण नहीं करने एवं वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान व दखन नहीं करने को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है एवं दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा किये गये निर्माण कार्य को प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाने एवं डौल मेड वादीगण को प्रतिवादीगण के खर्चे से बनवाने के अधिकारी है। मुखास्मत दावा दिनांक 23.06.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि की [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकार निर्माण कार्य करने की [illegible] वादीगण के मना करने पर नहीं मानने पर अन्दर हद्द अदालत [illegible] हुयी है। अतः में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2025.11.07 10:32:34 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वंय का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 संवत 2072–75 पेश की है।

बहस वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू कायम नहीं किये गये।

बहस वकील वादीगण का मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श 1 में भूमि वादीगण की खातेदारी में अंकित है। एवं मौखिक साक्ष्य वादीगण ने भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र का कोई खण्डन किसी प्रकार से नहीं किया गया है। दावा वादीगण डिक्री किये योग्य है। बहस में वादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 7619, 7622, 7623 वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर भूमि में निर्माण कर कर वादीगण के कब्जेकाश्त में व्यवधान पैदा करने पर उतारू है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 7619 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा व 7622, 7623 कुल किता 2 कुल रकबा 17 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई रूकावट व मदाखलत नहीं करें तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

**निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2025.11.07 10:32:34 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी
करौली